



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 अग्रहायण, 1944 (श०)

संख्या - 577 राँची, बुधवार,

7 दिसम्बर, 2022 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

6 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना सं.- परि.आ.(विविध)-239/2022-1921--जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका के पत्रांक-519, दिनांक 05.09.2022 द्वारा विभागीय वाहन संख्या- JH04C-0705 जो परिवहन आयुक्त, झारखण्ड के नाम पर निबंधित है तथा लगभग 17 वर्ष पुरानी हो चुकी है, के आर्थिक क्षति एवं सुरक्षा के दृष्टिकोण से परिचालन योग्य नहीं रहने की स्थिति में निबंधन रद्द कर निलामी किये जाने के क्रम में दिनांक 08.10.2019 तक कुल बकाया मार्ग कर रु. 42,405/- (बेयालिस हजार चार सौ पॉ चै रुपये माफ किया जाना प्रस्तावित है ।

अतः उक्त स्थिति में जिला परिवहन पदाधिकारी, दुमका के प्रस्ताव से सहमत होते हुए झारखण्ड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा- 15 के तहत विभागीय वाहन संख्या- JH04C-0705 का दिनांक 08.10.2019 तक कुल बकाया झारखण्ड मार्ग कर एवं उसपर अधिभारित दण्ड शुल्क की राशि 42,405/-(बेयालिस हजार चार सौ पाँच रुपये भुगतान से छूट प्रदान की जाती है ।

प्रस्ताव पर विभागीय माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोज कुमार,
सरकार के उप सचिव ।
